International Journal of Multidisciplinary Education and Research
www.educationjournal.in
ISSN: 2455-4588
Received: 28-03-2021, Accepted: 13-04-2021, Published: 29-04-2021
Volume 6, Issue 2, 2021, Page No. 49-52

आईटी एक्ट 2000: साइबर क्राइम पर पूरी तरह हो रहा है प्रभावी

रफी मोहम्मद शेख

सहायक प्राध्यापक- कम्प्यूटर, पमब गुजराती वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

कम्प्यूटर के इस युग में इंटरनेट और मोबाइल के समावेश के बाद इसके सही उपयोग के साथ ही गलत उपयोग से लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। मोबाइल का उपयोग कर आपके अकाउंट की ओटीपी या एटीएम की जानकारी लेकर या हैक कर लगातार फाइनेंशियल फ्रॉड बढ़ते जा रहे है। इसके साथ ही कम्प्यूटर हैकिंग,सायबर क्राइम या सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं इंटरनेट के उपयोग के साथ ही बढ़ रही है। इन्हें सायबर क्राइम के साथ ही देश से जुड़े सायबर क्राइम के मामलों के लिए भी देखा जा रहा है। ऐसी घटनाएं न केवल कम्प्यूटर या टेक्नालॉजी समझने वाले या नहीं समझने वाले आम आदमी के साथ ही कई छोटी-बड़ी सरकारी व गैर सरकारी कंपनियों और संस्थानों को आर्थिक,सामाजिक और व्यक्तिगत चपत लगा चुकी है। यहां पर खुद की गई गलतियां भी ऐसे मामलों में शामिल हो जाती है। अकाउंट व पासवर्ड हैकिंग से लेकर पोर्निंग और सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ रहे इसके गलत मामलों के कारण इसके लिए विश्व स्तर पर और भारत में इंफर्मेशन टेक्नालॉजी एक्ट 2000 बनाया गया। इसमें समय-समय पर बदलाव की जरूरत है। अब इसकी वर्तमान धाराओं का उपयोग कर पुलिस लगातार मामले दर्ज कर रही है। कुछ धाराएं अब हट चुकी है तो कई जुड़ी भी है। संवाद सेवाओं के माध्यम से जानकारी भेजने वाली धारा 66-ए को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है तो सायबर आतंकवाद की धारा 66-एफ का उपयोग भी अब लगातार हो रहा है।

मूल शब्द: सायबर क्राइम, इंफर्मेशन टेक्नालॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 66-ए, 66-एफ

प्रस्तावना

वर्ग, जाति और समाज के कोने-कोने तक इंफर्मेशन टेक्नालॉजी की पहुंच हो चुकी है। फोन, कम्प्यूटर, इंटरनेट और अब मोबाइल में कम्प्यूटर, फोन व इंटरनेट के त्रिगुण के कारण क्रांतिकारी बदलाव आ चुका है। इसके तमाम लाभों का उपयोग हम बहुत अच्छे से करते है। साथ ही समय पर त्वरित सूचनाओं के साथ ही महत्वपूर्ण जानकारियां पाने से यह प्रभावी होने के साथ ही जरूरी भी हो गया है। सस्ती सुविधाओं ने धीरे-धीरे आम जनता की अपेक्षाएं भी टेक्नालॉजी से लगातार बढ़ादी है। यही कारण है कि सामान्य आवेदन से लेकर पासपोर्ट, बैंक तक के काम इसके माध्यम से कर रहे हैं। प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते है। आईटी का भी उजला पक्ष दूसरे पहलू यानी खराब पक्ष से प्रभावित हो रहा है। अब धीरे-धीरे इसके दुरूपयोग के तमाम मामले सामने आ रहे है। जनता के इससे बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होने से पोर्निंग से लेकर हैकिंग तक का गंदा पक्ष अब इस पर हावी होता जा रहा है।

विषय विश्लेषण

इंफर्मेशन टेक्नालॉजी एक्ट 2000

इंफर्मेशन टेक्नालॉजी एक्ट 2000 (सूचना तकनीक अधिनियम) को 17 अक्टूबर 2000 को संसद ने पारित किया। इसमें 13 अध्यायों में विभक्त कुल 94 धाराएं हैं। यह एक्ट 9 जनवरी 2000 को संसद के समक्ष रखा गया था। वास्तव में इस कानून को बनाना भारत के लिए अनिवार्य हो गया था क्योंकि 30 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल एसेंबली में इंफर्मेशन टेक्नोलॉजी की आदर्श नियमावली यानी यूनाइटेड नेशंस कमीशन आॅफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को पारित किया गया था। इंफर्मेशन टेक्नालॉजी एक्ट 2000 में हर ऐसे लेन-देन को कानूनी मान्यता दी गई है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से हुआ है और जिसमें सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो। 27 अक्टूबर 2009 को इस कानून को एक घोषणा द्वारा संशोधित किया गया। इसे 5 फरवरी 2010 को फिर से संशोधित किया गया,जिसके तहत अध्याय 2 की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह डिजिटल हस्ताक्षर को जगह दी गई। इसके लिए धारा 2 में उपखंड (एच) के साथ उपखंड (एचए) को जोड़ा गया,जो सूचना के माध्यम की व्याख्या करता है।

66-ए को कर दिया रद्द

किसी गलत सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करने, किसी कोभेजने या किसी और के जरिए प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर पोर्नोग्राफी निरोधक कानून लागू होता है। आईटीकानून 2000 की धारा 77 बी, आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 66 डी, आईपीसी की धारा 417, 419, 420 और 465 के अंतर्गत इसमें प्रकरण दर्ज होता है। इसकी सजा तीन साल तक की जेल और/याजुर्माना है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले आईटी ऐक्ट की धारा 66ए को रद्द कर दिया। कोर्टका कहना था कि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की मूलअवधारणा पर आघात करता है। कोर्ट ने यहां पर साफ कर दिया कि इस कानून को रद्द करने का अर्थ यह नहीं है कि कंप्यूटर या किसी अन्य माध्यम से अश्लील संदेश भेजना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। साइबरअपराधी को आईटी एक्ट, भारतीय दण्ड संहिता और राज्यों में लागू कानूनों की 66ए से मिलती-जुलती धाराओं के तहत सजा का प्रावधान रहेगा।

अलग-अलग सजा का प्रावधान

वर्तमान में हो रहे साइबर क्राइम में अलग-अलग तरीके के अपराध शामिल है। आईटी एक्ट 2000 की विभिन्न धाराओं में इनके लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान किया गया है। सायबर क्राइम में लिप्त अपराधी के लिए न केवल आईटी एक्ट 2000 बल्कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं में भी प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। देश में प्रतिदिन ऐसे प्रकरण दर्ज होते है। इसके अंतर्गत न केवल व्यक्ति, संस्था बल्कि कम्प्यूटर भी शामिल रहता है। जिस प्रकार अपराध के स्थान पर मिले अन्य व्यक्तियों को भी अपराध में शामिल माना जाता है, उसी प्रकार कम्प्यूटर के माध्यम से अपराध करना, किसी की प्राइवेट इंफर्मेशन को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तमालकरना या किसी की भी निजी जानकारी कम्प्यूटर से गलत तरीके से प्राप्त करना या चोरी कर लेना साइबर क्राइम में शामिल है।जानकारी चोरीकरना, मिटाना, फेरबदल करना, किसी और की जानकारी को किसीऔर देना या कंप्यूटर की पार्ट्स को चोरी करना या नष्ट करना। स्पैम, ई-मेल, हैकिंग, फिशिंग, वायरस को डालना, किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी पर हर वक़्त नजर रखना, यह सब साइबर क्राइम में शामिल रहते है।

सायबर आतंकवाद पर प्रभावी 66-एफ

साइबर आतंकवाद के मामलों में इंफर्मेशन टेक्नालॉजी एक्ट 2000 में धारा 66-एफ जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत यदि कोई) भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को भंग करने या इसके निवासियों को आतंकित करने के लिए किसी व्यक्ति को कम्प्यूटर के इस्तेमाल से रोके या रोकने का कारण बने, बिना अधिकार के जबरन किसी कम्प्यूटर के इस्तेमाल की

कोशिश करे, कम्प्यूटर में वायरस जैसी कोई ऐसी चीज डाले या कोशिश करें, जिससे लोगों की जान को खतरा या संपत्ति के नुक़सान का ख़तरा हो, अनाधिकार या जानबूझकर किसी कम्प्यूटर से ऐसी सूचनाएं हासिल करें जो देश की सुरक्षाया अन्य देशों के साथ उसके संबंधों के नज़रिए से संवेदनशील हैं या भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं संप्रभुता, अन्य देशों के साथ इसके संबंध से संबंधित कोई भी गोपनीय सूचना ले ले, ऐसी सूचना प्राप्त करें जिससे देश की कोर्ट की अवमानना अथवा मानहानि होती हो, किसी विदेशी राष्ट्र अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा किसी अन्य को ऐसी सूचना से फायदा पहुंचता हो, तो उसे साइबर क्राइम का आरोपी माना जा सकता है।

आजीवन कारावास की सजा

साइबर आतंकवाद फैलाने या ऐसा करने की किसीसाजिश में शामिल व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। सूचना तकनीक क़ानून में कुछ और चीजों को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार हैं, कंप्यूटर से तात्पर्य किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल या तेज़ गति से डाटा का आदान-प्रदान करने वाले किसी भी ऐसे यंत्रसे है, जो विभिन्न तकनीकों की मदद से गणितीय, तार्किक या संग्रहणीय कार्य करने में सक्षम है। इसमें किसी कंप्यूटर तंत्र से जुड़ा या संबंधित हरप्रोग्राम और सॉफ्टवेयर शामिल है।

समाज में प्रभाव और सुरक्षा

पोर्निंग, फोटो के साथ छेड़छाड़, धर्म की टिप्पणी जैसे मामले ऐसे है कि इसमें सभी गांव-शहर के लोग और सामान्यत पीड़ित पक्ष के खुद के इसमें शामिल होने के कारण वह पुलिस में जाने से कतराता है। उसे लगाता है कि इसमें उसकी इज्जत भी बिगड़ेगी। इससे गलत काम करने वालों के हौंसले बुलंद होते है। इंफर्मेशन टेक्नालॉजी एक्ट 2000 हमें पुलिस और न्यायालय में तमाम तरीके की सुरक्षा प्रदान करता है। वास्तव में इसके व्यापक प्रचार-प्रसार और जागरूकता की जरूरत है। शहरों में तो पुलिस ने इसके लिए अलग से सायबर सेल बना दी है लेकिन शहरों से बाहर निकलते ही इस तरह के कानून को आम जनता तो दूर पुलिस तक नहीं जानती है। वह उसे धोखा मानकर बैठ जाती है और आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि अभी भी इस कानून को और भी सख्त बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही अपने लॉगिन, पासवर्ड की सुरक्षा जैसे उपाय करने से हम इस धोखाधड़ी से बच सकते है।

वर्दी और नियत का है फर्क

हैकिंग का अर्थ है किसी कम्प्यूटर या दूरसंचार प्रणाली को क्षति पहुंचाना। किसी भी वेब साइट या कम्प्यूटर को हैक करने का मतलब है उसमें अनाधिकृत प्रवेश करना और जो व्यक्ति ये काम करता है वो हैकर कहलाता है। जिस तरह से पुलिस और चोर के बीच हुनर का फर्क नहीं होता,सिर्फ वर्दी और नीयत का फर्क होता है।ठीक उसी तरह हैकर और एथिकल हैकर के बीच भी यही अंतर है। जब भी कोई शख्स अपनी वेब साइट की खामियों के बारे में जानने के लिए किसी व्यक्ति को अपनी वेब साइट हैक करने का अधिकार देता है और फिर वह व्यक्ति उस वेब साइट को उसके सुरक्षा साधनों की कमियों के बारे में पता करने के लिए उसे हैक करता है, तो प्रक्रिया को एथिकल हैकिंग कहते हैं। हैकिंग अपने आप गलत नहीं है,लेकिन अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये एक गुनाह में बदल जाता है।

खुद की गलती के साथ हैकिंग

उत्तर कोरिया के हैकर्स का कारनामा हो या फिर इंटरनेट पर पश्चिम में बड़ी सेलेब्रिटीज की न्यूड फोटोज का इंटरनेट पर आ जाना, यह वास्तव में निजता को सबसे सामने ला रही है। हाल में रूस की एक महिला अध्यापिका की नौकरी पर इसलिए बन आई क्योंकि उसने सोशल साइट पर गलती से अपनी न्यूड सेल्फी पोस्ट कर दी। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों एक दंपति की हनीमून की तस्वीरें तकनीकी अज्ञानता की वजह से इंटरनेट पर चली गई जिससे तलाक की नौबत आ गई।

भारत में ऐसा मामले कम ही सामने आते है या फिर इन पर चर्चा होती है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अपनी निजता को लेकर गंभीर और सतर्क है या नहीं। फेसबुक और गूगल के पास हमारी नितांत निजी सूचनाएं और तस्वीरें हैं क्योंकि उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में इसका साफ उल्लेख है। सूचना तकनीक की दुनिया में हम अपनी निजता को लेकर दुधारी तलवार पर चल रहे हैं। एक ओर बड़ा प्रश्न कंपनियों या सरकार द्वारा हमारी निजी सूचनाओं के इस्तेमाल का हो तो दूसरी ओर हैकर्स के हमले का सवाल भी सामने है। इंटरनेट पर एक छोटी-सी चूक पल में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा तार-तार कर सकती है। बड़ा आर्थिक नुकसान भी मुमकिन है। दिक्कत यही है कि अभी हम प्राइवेसी में दखल के खतरे को भांप नहीं पा रहे हैं। दुनिया भर के बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट मानते है कि साइबर कानूनों में हैकिंग भले अपराध है लेकिन सफेदपोश हैकर्स को पकड़ना कभी आसान नहीं रहा।

संदर्भ सूची

1. The Information Technology ACT, 2008, Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) New Delhi, the 9th June2000/Jyaistha 19, 1922.
2. http://www.dnaindia.com/scitech/report-indias-information-technology-act-has-not-been-effective-in-checking-cyber-crime-expert-1818328, Last visited on 31st march, 2014
3. Compute fraud and abuse act: http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Fraud_and_Abuse_Act
4. Cyber Crimes and Real World Society by Lalitha Sridhar.
5. Cyber Law and Information Technology by Talwanth Singh Addl. Distt. And Sessions Judge, Delhi.
6. Supreme court various decision about 66-A.
7. S Basu, R Jones. 'Legal issues affecting e-commerce: a review of the Indian Information Technology Act 2000', Contemporary South Asia, 2003, 12(1).
8. इंफर्मेशन टेक्नालॉजी एक्ट, 2000.
9. भारत में आईटी एक्ट के विभिन्न प्रभाव, रिपोर्ट इंफर्मेशन टेक्नालॉजी मंत्रालय
10. विभिन्न समाचार-पत्र, पत्र-पत्रिकाएं और टीवी चैनल्स की रिपोर्टस.
11. भारत में आई टी एक्ट के विभिन्न प्रभाव, रिपोर्ट इंफर्मेशन टेक्नालॉजी मंत्रालय
12. विभिन्न समाचार-पत्र, पत्र-पत्रिकाएं और टीवी चैनल्स की रिपोर्टस.